केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 32 गुरूवार 21 अगस्त 2025 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

धीरसेन निषाद ने किया नन्दलाल वर्मा के विरूद्ध कार्रवाई की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। नगर पंचायत रूधौली बाजार के अध्यक्ष धीरसेन निषाद ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर कहा है कि नन्दलाल वर्मा पुत्र केशवचन्द्र वर्मा पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के व्योतहरा का निवासी है और उनसे राजनीतिक दुशमनी रखता है। आये दिन फेसबुक, सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से अर्नगल आरोप उसके द्वारा लगाया जाता है। उसके द्वारा लगाये गये अनेक आरोपों की जांच जिलाधिकारी द्वारा गठित कमेटी से कराया गया इसमें सारे मामले निराधार और झूठे पाये गये। वह दो बच्चों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठ गया और भ्रम फैला रहा है। उसके द्वारा धन उगाही के उद्देश्य से मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है।

नगर पंचायत रूधौली बाजार के अध्यक्ष धीरसेन निषाद ने एसपी से मांग किया कि नन्दलाल के विरूद्ध समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराकर कार्यवाही कराया जाय।

31 मांगों को लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन कर सौंपा मांग पत्र

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर बस्ती में बुधवार को शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस धरने में प्रधानाचार्य, शिक्षक और कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

शिक्षकों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन की बहाली, निशुल्क चिकित्सा सुविधा और ऑफलाइन स्थानांतरण सूची का प्रकाशन शामिल है। साथ ही धारा 12, 18 और 21 की पुर्नबहाली तथा ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली का विरोध भी किया गया। जनपद स्तर पर लंबित शिक्षकों के प्रकरणों के निस्तारण की मांग भी रखी गई।

जिला अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा के योगदान को याद किया। उन्होंने बताया कि शर्मा के नेतृत्व में ही शिक्षकों को वेतन वितरण अधिनियम, सेवा सुरक्षा और चयन बोर्ड जैसी उपलब्धियां मिली हैं। मंडलीय संरक्षक रामेश्वर सिंह ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए।

उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी डॉ. विकास भट्ट 'कामिल' ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। धरने को मंसाराम चौधरी, चंद्रिका सिंह, मस्तराम वर्मा सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री को संबोधित 31 सूत्रीय मांग–पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक जगदीश प्रसाद शुक्ल को सौंपा गया। इसके साथ ही 26 सूत्रीय जनपदीय मांग–पत्र भी दिया गया।

अग्नि–5 मिसाइल का सफल परीक्षण

नई दिल्ली (आभा)। भारत ने बुधवार को अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करते हुए स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि–5 मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया, जो भारत की सामरिक शक्ति को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा मंत्रालय ने इस सफलता की पुष्टि करते हुए कहा कि यह परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया और इस परीक्षण में सभी परिचालन और तकनीकी मापदंड सफल रहे।

बता दें कि भारत ने अग्नि–5 बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण से पहले नोटम (नोटिस टू एयरमेन) जारी किया था, जिसमें हवाई और समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्र को प्रतिबंधित किया गया था। बाद में, इस नोटम की दूरी को और बढ़ाया गया था ताकि मिसाइल की 5,000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता का पूर्ण परीक्षण किया जा सके। अब भारत ने अपना महारथी हथियार टेस्ट किया है जो पड़ोसी दुश्मन देशों के किसी भी कोने पर वार कर सकता है।

अग्नि–5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (प्ब्ठड) है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (क्त्क्व्) द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर से अधिक है, जो इसे भारत की सबसे एडवांस मिसाइलों में से एक बनाती है। यह तीन चरणों वाली ठोस ईंधन से संचालित मिसाइल है, जो 17 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है। इसका वजन लगभग 50 टन है और यह 1.5 टन तक के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है।

आटो मोबाइल्स क्षेत्र में है अपार संभावना–अजय पाण्डेय

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। नगर बाजार स्थित एक ऑटो शोरूम गर्व आटो मोबाइल्स का उद्घाटन करते हुये ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य अजय कुमार पाण्डेय ने कहा कि यूपी में आटोमोबाइल सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शोरूम के खुल जाने से लोगों को काफी सुविधा होगी। वाहन कय के बाद सर्विसिंग आदि के लिये भी लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा।

प्रोप्राइटर आशुतोष पाठक ने आगन्तुकों का स्वागत करते हुये बताया कि गर्व आटो मोबाइल्स में ई रिक्शा, इलेक्ट्रानिक मोटर साईकिले उचित दर पर उपलब्ध है। इससे उपभोक्ताओं को डीजल, पेट्रोल के लिये भटकना नहीं पड़ेगा। उद्घाटन सुबास पाठक, राजेश पाण्डेय, अरविंद, रबि शुक्ला के साथ ही बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।

दुर्गा मंदिर में चोरी की कोशिश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र के डारीडीहा स्थित दुर्गा मंदिर में चोरी की नीयत से घुसा एक चोर सीसीटीवी में कैद हो गया। उसके द्वारा आस पास के अनेक दूकानों में चोरी की गई किन्तु साक्ष्य न होने के कारण लोग चुप रहे। दुर्गा मंदिर के सरवराकार अजेवेंश्वर नन्द जी महाराज ने सोनूपार के चौकी इंन्चार्ज को तहरीर देकर चोरी के मामलों की जांच कराने और क्षेत्र में रात्रि कालीन गश्त बढाने की माग किया। तहरीर में कहा गया है कि गत 19 अगस्त को दुर्गा मंदिर में चोरी की नीयत से घुसे चोर का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है।

दलित युवक को मारा पीटा, दूकान में तोड़फोड़, एसपी से लगाया न्याय की गुहार

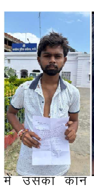

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र के डिडौहा निवासी दलित शिवम कुमार पुत्र शिव कुमार ने दूकान में तोड़फोड़, मारने पीटने, जाति सूचक गालियां देने, कान कट जाने के मामले में पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर दोषियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर न्याय दिलाने की मांग किया है।

एसपी को दिये पत्र में शिवम कुमार ने कहा है कि हरदिया चौराहे पर उसकी मोबाइल रिपेयर की दूकान है। गत 19 अगस्त को उसकी दूकान पर सियरापार निवासी चन्द्रकेश्वर पुत्र लालता ने मोबाइल स्क्रीन लगवाया। पैसा मांगने पर जाति सूचक गालियां देते हुये अपने नाती, लड़के को बुला लिया और उसे मारने पीटने के साथ ही दूकान का काफी सामान नुकसान कर दिया। मारपीट में उसका कान कट गया। इस सम्बन्ध में दुर्गेश चौधरी, सुनील चौधरी, अनिल चौधरी, चुम्मन, चन्द्रकेश्वर आदि के विरूद्ध कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया किन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिवम ने बताया कि एसपी ने मामले में मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिन पर छात्रों में किया शैक्षणिक सामग्री का वितरण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता श्रम प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव मंजू पाण्डेय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिन पर शहर के प्राथमिक विद्यालय वैरिहयवा के छात्रों में शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया। कहा कि नियति ने असमय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को हमसे छीन लिया। उन्होने कम समय में पंचायती राज व्यवस्था को नई दिशा देने, भारत को तकनीक के क्षेत्र में आगे ले जाने का कार्य किया। उनका योगदान सदैव याद किया जायेगा।

छात्रों में शैक्षणिक सामग्री का वितरण किये जाने के दौरान कांग्रेस नेता अवधेश सिंह, नीता सिंह, सावित्री देवी, किरन लता शर्मा, अर्चिता भट्ट, कुसलावती आदि ने योगदान दिया।

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में अन्या प्रथम, कौशिक को मिला दूसरा स्थान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी लखनऊ के सहयोग से जनपद में सघन जागरूकता अभियान के तहत समन्वय बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुआ। इसी कड़ी में युवा उत्सव कार्यक्रम के तहत रेड रन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन बेगम खैर गर्ल्स इन्टर कॉलेज के सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति, बस्ती द्वारा किया गया ।

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का शुभारम्भ बेगम खैर गर्ल्स इन्टर कॉलेज की प्रधानाचार्य मुस्लिमा खातून द्वारा दीप प्रज्जवलन से किया गया । संचालन कर रहे ग्रामीण विकास सेवा समिति के सचिव अम्बुज कुमार यादव ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुये प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी दी ।

दिशा यूनिट बस्ती के कलस्टर प्रोग्राम मैनेजर अखिलेश सिंह ने उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, लखनऊ के सहयोग से जनपद बस्ती में सघन जागरूकता अभियान एवं रेड रन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के उद्देश्यों के संबंध में पूर्ण जानकारी साझा की । रेड रन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में श्रीमती कृष्ण कुमारी पाण्डेय गर्ल्स इन्टर कॉलेज, सरस्वती बालिका विद्या मंदिर रामबाग, राजकीय कन्या इन्टर कॉलेज, श्री श्याम बहादुर आर्य कन्या इन्टर कॉलेज, बेगम खैर गर्ल्स इंटर कॉलेज, एएसएच एण्ड जीआरएसइन्टर कॉलेज, एसकेपी इंटर कॉलेज, एसकेपी गर्ल्स इंटर कॉलेज, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, एवं राजकीय इन्टर कॉलेज, बस्ती के छात्र, छात्राओं ने हिस्सा लिया । इसमे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर रामबाग की अन्या शुक्ल प्रथम स्थान, सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग के कौशिक वर्मा द्वितीय स्थान एवं राजकीय इन्टर कॉलेज, बस्ती के अजीत कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया ।

इस दौरान जितेंद्र कुमार चौहान कलस्टर प्रीवेनशन ऑफिसर, सीमा सिंह एवं विष्णु यादव अर्श काउन्सलर, भारत उदय की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रिया पाण्डेय, ग्रामीण विकास सेवा समिति कि सानू गुप्ता, शुभेन्द्र पाठक, सुबास प्रजापति एवं रमाकांत उपस्थित रहे ।

दो सगे भाईयों ने अधिकारियों से लगाया बैनामे की जमीन बचाने की गुहार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। नगर पंचायत बभनान निवासी दो सगे भाईयों सच्चिदानन्द जायसवाल और देवानन्द जायसवाल पुत्र विपिन जायसवाल ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री के साथ ही अनेक सम्बंधित अधिकारियों को पत्र देकर अपने बैनामाशुदा जमीन के रक्षा की गुहार लगाया है।

भेजे पत्र में दोनो सगे भाईयों ने कहा है कि वे वार्ड न० 12 दीन दयालनगर, नगर पंचायत बभनान, के निवासी है। उनकी आबादी के जमीन पर जो गेट न०222 रेलवे क्रासिंग के पास स्थित है। उनके पिता विपिन जायसवाल ने अस्वस्थ होने के कारण अपने पुत्रों को बैनामा कर दिया।

–दबंग कर रहे हैं कब्जे की कोशिश: न्याय की मांग

भूमि कि चौहद्दी 38 फुट चौड़ा उत्तर से दक्षिण 80 फिट लम्बा पूरब से पश्चिम 282.43 वर्ग मीटर है। यह नगर पंचायत में दर्ज और आवासीय परियोजना की भूमि है। इस जमीन पर जबरदस्ती भोला पुत्र वंशीधर, शैल जायसवाल पत्नी भोला, आशीर्वाद उर्फ सनद पुत्र भोला गुड़िया व संतोष पुत्रीगण वंशीधर निवासीगण वार्ड न०–12 सुरती हट्टा बभनान, थाना गौर 6 से 7 लोगो को बाहर से बुलाकर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लेना चाहते हैं। मना करने पर मार पीट गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दे रहे है। जबकि उक्त जमीन का विवाद न्यायालय में विचारधीन है । दोनों सगे भाईयो ने अपनी बैनामाशुदा जमीन को दबंगों से बचाने और दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग किया है।

फर्जी डिग्री वाले 22 शिक्षक बर्खास्त

लखनऊ (आभा)। माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक पदों पर हुई नियुक्तियों की जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सत्यापन में 22 शिक्षकों के प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इनकी सेवाएं समाप्त करते हुए वेतन की रिकवरी और एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। ये सभी नियुक्तियां वर्ष आजमगढ़ मंडल में 21 अप्रैल 2014 में हुई थी। वर्तमान में ये सभी शिक्षक स्थानांतरण के बाद अलग–अलग कॉलेजों में कार्यरत हैं।

शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से एलटी (स्नातक) के रिक्त पदों को भरने के लिए समाचार पत्रों के विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। यह नियुक्ति वर्ष 2014 में हुई थी। इन नियुक्तियों में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक व प्रशिक्षण अर्हता के आधार पर मेरिट बनाकर काउंसिलिंग के जरिये चयन किया गया था। लेकिन दस्तावेजों की गहन जांच में कई अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र कूटरचित मिले।

करीब 11 वर्ष के बाद फर्जी अभिलेखों के आधार पर नियुक्त 22 शिक्षकों की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही, उनके द्वारा अब तक प्राप्त वेतन की वसूली (रिकवरी) की जाएगी। इसके अतिरिक्त संबंधित शिक्षकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के आदेश भी जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर की है और संबंधित जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

एलटी ग्रेड में शिक्षकों की शुरुआती वेतन करीब 55 हजार रुपये महीने होती है। जो वरिष्ठता के हिसाब से इस समय 75 हजार रुपये महीने हो गई है। ऐसे में अगर औसत 60 हजार रुपये महीने के हिसाब से एक वर्ष के वेतन की गणना करें तो 7,20,000 रुपये हुए।

आल इण्डिया एल.पी.जी. डिस्ट्रीव्यूटर्स फेडरेशन की बैठक में मुद्दो पर विमर्श

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । बुधवार को आल इण्डिया एल.पी.जी. डिस्ट्रीव्यूटर्स फेडरेशन की बैठक रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित एक होटल के सभागार में विनोद शुक्ल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुये जिला पूर्ति अधिकारी विमल कुमार शुक्ल ने कहा कि विभागीय स्तर पर एल.पी.जी. वितरकों की समस्याओं को प्रभावी समाधान कराया जाता है। इसके बावजूद किसी भी स्तर पर यदि कोई समस्या आती हो तो प्राथमिकता से इसका समाधान कराया जायेगा। उन्होने विभाग के इंसपेक्टरों को निर्देश दिया कि वे यह व्यवस्था सुनिश्चित करें कि होटल, ढाबा आदि स्थानों पर कामर्शियल सिलेन्डर का ही प्रयोग किया जाय। घरेलू गैस का दुरूपयोग न होने पाये।

–कामर्शियल गैस सिलेन्डरों के दुरूपयोग पर रोक लगाने की उठी मांग

फेडरेशन अध्यक्ष विनोद शुक्ल ने कहा कि संगठन का पूरा प्रयास है कि किसी भी स्तर पर यदि समस्या आती हो तो इसका समाधान हो। उन्होने इस बात पर जोर दिया कि विभागीय स्तर पर घरेलू सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग प्रभावी ढंग से रोका जाय।

बैठक में उपाध्यक्ष अशोक सिंह, रत्नाकर धूसिया, माधव सिंह 'राजू', महामंत्री प्रत्युष विक्रम सिंह, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह आदि ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये और इस बात पर जोर दिया कि गैस उपभोक्ताओं को कोई समस्या न होने पाये। बैठक में मुख्य रूप से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारत गैस और इण्डेन गैस के सभी डीलर उपस्थित रहे।

चकबंदी में मनमानी का आरोप डीएम से लगाया न्याय की गुहार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भानपुर तहसील के अमरौली सुमाली निवासी तपानाथ पुत्र बलकेसर ने जिलाधिकारी को पत्र देकर मांग किया है कि जब तक न्यायालय उप संचालक चकबंदी बस्ती स्तर से मुकदमा निर्णीत नहीं हो जाता तब तक मौके पर विपक्षी चन्द्रकला सिंह को उनके बैनामा शुदा भूमि पर कब्जा न करने दिया जाय और सहायक चकबंदी अधिकारी के आदेश का पालन कराया जाय।

डीएम को दिये पत्र में तपानाथ ने कहा है कि वे आराजी नम्बर 1764 के बैनामेदार हैं और खतौनी में उनका नाम दर्ज है। विवादित भूमि 1764 के खातेदार भवानीभीख ने कई लोगों के पक्ष में उक्त भूमि का बैनामा लिखा था। सभी बैनामे के दौरान सड़क के पूरब तरफ संयुक्त चक सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा किया गया था इससे सभी खातेदारान संतुष्ट थे किन्तु चन्द्रकला सिंह पत्नी विवेक सिंह निवासी भिरिया रितुराज जो सम्पन्न और प्रभावशाली परिवार की महिला हैं ने सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा दिये गये चक के विरूद्ध चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत किया और बिना नोटिस, सम्मन दिये चकबंदी अधिकारी से मिलकर सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा दिये गये चक को नहर के पूरब तरफ दे दिया गया जो अनउपयुक्त भूमि है। इस सम्बन्ध में उप संचालक चकबंदी के समक्ष निगरानी दाखिल किया है जो विचाराधीन है। चन्द्रकला सिंह और उनके परिवार के लोग अधिकारियों पर अनुचित दबाव बनाकर जबरिया कब्जा लेना चाहते हैं। तपानाथ ने बताया कि चकबंदी अधिकारियों ने गाटा संख्या 1764, 1540, 1049 का बटवारा फर्जी तरीके से कर दिया है। इसकी जानकारी होने पर जब काश्तकारों ने आपत्ति करने के साथ नकल मांगा तो मौके पर गये एसीओ ने पूरी फाइल पानी में भिगोकर नष्ट करने का प्रयास किया। ग्रामीणों की सक्रियता से फाइल बच गयी किन्तु न तो नकल मिली न पत्रावली। एसीओ के पास पत्रावली सुरक्षित है। तपानाथ ने समूचे मामले में उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई के साथ न्याय की गुहार लगाया है।

पुण्य तिथि पर याद किये गये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं राम उजागर शर्मा : योगदान पर विमर्श

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बस्ती । स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं राम उजागर शर्मा की 52 वीं पुण्यतिथि पर उन्हें जनपद के साहित्यकारों, कवियों द्वारा याद कर श्रद्धांजलि दी गई। कलेक्ट्रेट परिसर में पं राम उजागर शर्मा के पुत्र वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम प्रकाश शर्मा के संयोजन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को सम्बोधित करते हुए मुख्य वक्ता परमात्मा प्रसाद चतुर्वेदी ने विस्तार से उनके बारे में बताते हुए कहा की वह विभिन्न जेलों में लगभग 8 वर्षों तक बंदी रहे। बंदी के दौरान उनकी मुलाकात प्रसिद्ध कवि मैथिलीशरण गुप्त से हुई। जिन्होंने उन्हें विद्रोही की संज्ञा से कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया। जेल में ही उन्होंने परिवर्तन और जागृति के नाम से क्रान्तिकारी उपन्यासों की रचना की। जिसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था।

डा. वी.के. वर्मा, पं. चन्द्रबली मिश्र, बटुकनाथ शुक्ल, बी.के. मिश्र, पेशकार मिश्र, वाहिद अली सिद्दीकी, आदि ने कहा की आजादी के बाद से ही देश सेवा का जज्बा कायम रहने की वजह से उन्होंने अपने गांव गौसपुर में नेहरू कृषक विद्यालय की स्थापना की। वह भारत सेवक समाज के अध्यक्ष, प्रान्तीय रक्षक दल के बस्ती कैप्टन, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष व भारत सोवियत मैत्री संघ के अध्यक्ष पदों पर आसीन रहे। साधूशरण शुक्ला ने कहा की उन्होंने संग्राम व समाजवादी भारत का प्रकाशन किया। क्रान्तिकारी कविताएं और रचनाएं लिखते रहे।

डा. राजेन्द्र सिंह 'राही' के संयोजन में आयोजित कवि सम्मेलन में अफजल हुसेन 'अफजल' दीपक सिंह प्रेमी, अजीत श्रीवास्तव 'राज' अजमत अली सिद्दीकी, तौव्वाब अली, परमात्मा प्रसाद निर्दोष आदि ने देश प्रेम की रचनाएं प्रस्तुत करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से संजीव पाण्डेय, शत्रुघ्न राय, रामचन्द्र पाल, लालजी पाण्डेय एडवोकेट, सामईन फारूकी, गिरिश चन्द्र मिश्र, सभाजीत पाण्डेय, दीनानाथ यादव, सुधांशु बरनवाल, के साथ ही अनेक लोग मौजूद रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 21 अगस्त 2025 गुरूवार

सम्पादकीय

प्लास्टिक का खतरा और पर्यावरण

इसमें दो राय नहीं कि मानव जीवन की सुविधा के लिये बना प्लास्टिक आज हमारी धरती के लिये ही घातक साबित हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्लास्टिक हमारे ग्रह का दम घोंट रहा है। निस्संदेह, इसको नष्ट करना बेहद कठिन है क्योंकि धरती में दबाएं तो भूमि की उर्वरता पर संकट आता है। इसको जलाएं तो विषैली गैसों से वातावरण प्रदूषित होता है। ये जल्दी से गलता भी नहीं है। अब तो महानगरों व शहरों की जलनिकासी को प्लास्टिक गहरे तक बाधित कर रहा है। यहां तक कि प्लास्टिक के बारीक कण मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। प्लास्टिक समुद्र में जा रहा है तो मछलियों को जहरीला बना रहा है। नदी, पहाड़ और मैदान सब प्लास्टिक कचरे के आगोश में हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि भयावह संकट के बावजूद इससे निबटने के उपायों को लेकर वैश्विक सहमति नहीं बन पा रही है। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर जिनेवा वार्ता विफल होने से इस बाबत वैश्विक विभाजन पूरी तरह उजागर हो गया है। दरअसल, लगभग सत्तर देशों का एक उच्च महत्वाकांक्षी समूह, जो प्लास्टिक पर वैश्विक सीमा और खतरनाक रसायनों पर नियंत्रण की मांग कर रहा है, अब तेल व पेट्रोकेमिकल उत्पादक एक समूह के खिलाफ खड़ा है, जो रीसाइक्लिंग, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं को दर्शा रहे हैं। इस समूह में भारत भी शामिल है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक होने का दर्जा दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन में लगभग बीस फीसदी हिस्सा भारत का है। भारत इस बात पर जोर देता रहा है कि इस दौरान चरणबद्ध समाप्ति की समय सीमा वाले उत्पादों या रसायनों की कोई वैश्विक सूची नहीं होनी चाहिए। भारत की दलील तार्किक है कि विभिन्न देशों की राष्ट्रीय परिस्थितियों और क्षमताओं पर उचित विचार किया जाना चाहिए। विडंबना यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पेट्रोकेमिकल क्षेत्र, माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण का भी एक प्रमुख स्रोत है।

लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस तरह के प्रदूषण का पारिस्थितिकीय तंत्र, जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य पर गहरा असर होता है। खासकर हमारे शरीर पर पड़ने वाले घातक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से यह एक हकीकत है कि औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन साधना एक टेढ़ी खीर है। लेकिन इसके बावजूद इस दिशा में सार्थक प्रयास करने जरूरी हैं। इस संकट से मुकाबला करने के लिये भारत को समान विचारधारा व परिस्थितियों वाले चीन, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। बहुत संभव है कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बाध्यकारी साधन के रूप में कारगर सिद्ध हो सके, लेकिन इससे लोगों और पर्यावरण के प्रति सरकारों की जिम्मेदारी कम नहीं हो सकती। बहुत संभव है कि प्रदूषणकारी उद्योगों पर कार्रवाई कड़ा संदेश दे सकती है। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार को पहचाने गए एकल–उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध की प्रभावशीलता और उसके प्रवर्तन में कमियों का भी गंभीरता से आकलन करना चाहिए। इसके लिये जनजागरण अभियान चलाने की भी जरूरत है ताकि लोग प्लास्टिक के विकल्प अपनाने के प्रति उत्साह दिखाएं। अंततरू सभी प्रमुख हितधारकों दृ केंद्र सरकार व राज्यों की सरकारें, जनता, उद्योग जगत को देश में प्लास्टिक के खतरनाक स्तर को कम करने में मदद करने के लिये आगे आना होगा। हमें ध्यान रखना होगा कि भारत को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का सपना पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को अपनाए बिना पूरा नहीं हो सकता। यह हमारे पर्यावरण संरक्षण के अलावा नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा भी है। लोगों को समझना होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प अपनाने में उनका ही लाभ है। हम बाजार से सामान लाने में प्लास्टिक के थैलियों के इस्तेमाल के बजाय कपड़े या अन्य वैकल्पिक साधनों को अपनाएं। हमें स्कूली पाठ्यक्रमों में भी प्लास्टिक संकट को एक विषय के रूप में अपनाना होगा। ताकि देश की भावी पीढ़ी प्लास्टिक के खतरों से अवगत हो। हमारी साझी पहल ही रंग ला सकती है।

नये कानून से खतरा, अब जेल में से नहीं चलेगी सरकार

–अभिनव आकाश–

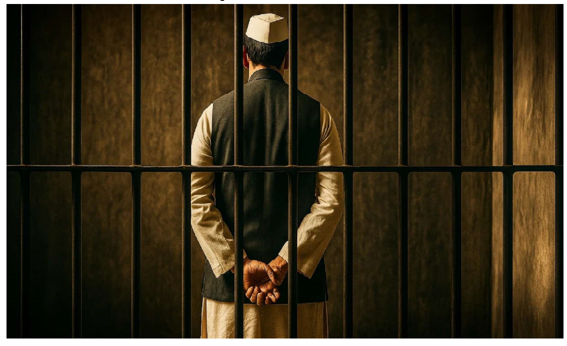

भारत के संविधान निर्माताओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस देश के संसदीय लोकतंत्र के जीवन में कोई ऐसा क्षण भी आएगा कभी कि विभत्स और जघन्य अपराध में जेल जाने वाले मंत्री और मुख्यमंत्री जेल से शासन चलाने की दंभपूर्ण जिद करेंगे और अपने पद से त्यागपत्र देने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि हम जेल से शासन चलाएंगे। जेल में ही फाइलें साइन करेंगे। जेल में ही कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे। संविधान निर्माताओं को हमेशा इस बात का भान रहा होगा कि ये भारत है और यहां सामाजिक जीवन में लोक–लाज का बड़ा महत्व है। भारत में लोकतंत्र लोक–लाज से भी संचालित होता है। इसलिए उन्हें लगा होगा कि कभी ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं कि सत्ता के लिए राजनेता इस स्तर पर आ जाएंगे कि जेल से शासन चलाने की जिद करेंगे। अब आपराधिक मामलों में पीएम, सीएम या मंत्री कोई भी गिरफ्तार होता है तो उसको हटाने के लिए मोदी सरकार एक बिल लेकर आई है, जिस पर कांग्रेस इस पर भड़की हुई है। गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाने वाले प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर केंद्रीय मंत्री उन्हें हटाने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया गया।

पेश किए गए तीन विधेयक हैंरू संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक और जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025। संविधान (130वां संशोधन) विधेयक में प्रावधान है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः ही हटा दिया जाएगा। हालाँकि, जिस अपराध के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है, उसकी सजा पाँच साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इस प्रकार, अगर उन्हें दोषी नहीं भी ठहराया जाता है, तो भी उन्हें उनके पदों से हटाया जा सकता है। यह कानून उन्हें उन सरकारी कर्मचारियों के बराबर लाता है, जिन्हें गिरफ्तार करने पर निलंबित कर दिया जाता है। इससे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) चर्चा में आ गया है, जिसका इस्तेमाल ईडी ने हाल के दिनों में कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए किया है। पीएमएलए के तहत, किसी को ईडी गिरफ्तार कर सकता है और 30 दिनों तक जमानत से वंचित रख सकता है। ऐसी स्थिति में, प्रस्तावित कानून के तहत गिरफ्तार किए गए किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री का पद 30 दिन की अवधि पार होने के बाद समाप्त हो जाएगा। यही बात विपक्ष के बीच चिंता का विषय है। हालांकि, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को हिरासत से रिहा होने के बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पुनः नियुक्त किया जा सकता है। इसी तरह के प्रावधान जम्मू–कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होंगे, जो एक अलग विधायी ढांचे के माध्यम से शासित होते हैं।

वर्तमान में गिरफ्तारी के बाद भी मंत्रियों के अपने पद पर बने रहने पर कोई रोक नहीं है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में विधायकों और सांसदों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है, अगर उन्हें दो साल या उससे ज्यादा की सजा वाले किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है। पिछले साल, तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद, नेताओं के सत्ता में बने रहने का मुद्दा केंद्र और विपक्ष के बीच विवाद का विषय बन गया था। केजरीवाल से जुड़ी स्थिति के बारे में हम पिछले भाग में बता चुके हैं। धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार हुए बालाजी के मामले में, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उन्हें बिना किसी विभाग के मंत्रिमंडल में बनाए रखा था। इस वजह से राज्यपाल के साथ उनकी तीखी बहस हुई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भूमि घोटाला मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने से ठीक एक दिन पहले जनवरी 2024 में इस्तीफा दे दिया था।

वर्तमान में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अयोग्यता से संबंधित कानून मौजूद हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, राज्य विधानसभाओं और संसद के सदस्यों को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। भ्रष्टाचार और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि के मामले में सजा की अवधि की परवाह किए बिना अयोग्यता की जा सकती है। केंद्र अब ऐसे कानून लाने जा रहा है जिनके तहत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों सहित किसी भी मंत्री को 30 दिन या उससे अधिक समय तक गिरफ्तार रहने पर पद से हटाया जा सकेगा। प्रस्तावित विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, गंभीर आपराधिक अपराधों के आरोपों का सामना कर रहा कोई मंत्री, गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया, संवैधानिक नैतिकता और सुशासन के सिद्धांतों को विफल या बाधित कर सकता है और अंततः लोगों द्वारा उस पर रखे गए संवैधानिक विश्वास को कम कर सकता है। राजनीतिक विश्वेषक कहते हैं कि ये मामला सरकार के लिए ट्रिगर प्वाइंट था। जिस बिल को सरकार अभी पेश करने जा रही है अगर ये कानून तब वजूद में होता तो ऐसी स्थिति में गिरफ्तार सीएम कुर्सी उनकी गिरफ्तारी के 31 दिन स्वतरू ही चली जाती। अरविंद केजरीवाल के अलावा सत्येंद्र जैन भी कई महीनों तक जेल जाने के बावजूद अपने पद पर बने हुए थे। इसके अलावा तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बाला जी का मामला भी ऐसा ही था। जब उनपर आरोप लगे तो वहां के राज्यपाल ने उन्हें बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। लेकिन कानूनी विचार विमर्श के बाद ये तय किया गया कि उन्हें पद से नहीं हटाया जाएगा।

प्रधानमंत्री को हटाने से जुड़े प्रावधान पर एक बिल में प्रावधान है कि यदि कोई प्रधानमंत्री, जो अपने पद पर बने रहने के दौरान लगातार 30 दिनों की अवधि के दौरान, किसी कानून के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में रखा जाता है, जिसमें पांच साल या उससे अधिक की जेल की सजा है तो उसे ऐसी गिरफ्तारी और हिरासत के बाद इकतीसवें दिन तक अपना त्यागपत्र दे देना होगा और यदि वह त्यागपत्र नहीं देता है, तो वह उसके बाद पड़ने वाले दिन से वह प्रधानमंत्री नहीं रहेगा।

विपक्ष ने आरोप लगाया है कि नए विधेयक, यदि पारित हो जाते हैं, तो केंद्रीय एजेंसियों को गैर–भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने के बेलगाम अधिकार मिल जाएँगे। हाल के महीनों में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय एजेंसियों, विशेष रूप से ईडी के आचरण पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि यह सभी हदें पार कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में शीर्ष अदालत ने ईडी से कहा था, आप एक बदमाश की तरह काम नहीं कर सकते। साथ ही, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एजेंसी को कानूनी सीमाओं के भीतर ही काम करना चाहिए।

ढीली अस्थायी राहत, समाधान और पड़ोसी चीन

–नीरज कुमार दूबे–

चीन द्वारा हाल ही में लगाए गए और फिर हटाए गए रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात प्रतिबंध ने भारत की औद्योगिक ढाँचे की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर कर दिया है। इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों की प्रगति जिन महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भर है, उनमें भारत आज भी भारी मात्रा में आयात पर आश्रित है। चीन का वर्चस्व और उसकी नीतिगत अनिश्चितता भारत जैसे देश के लिए केवल आर्थिक चुनौती ही नहीं, बल्कि रणनीतिक खतरा भी है।

चीन द्वारा निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों ने भारतीय उद्योगों को झटका दिया था। विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में उत्पादन और नई परियोजनाओं पर संकट खड़ा हो गया था। हालाँकि, चीन ने अब इन प्रतिबंधों में ढील दी है, जिससे तत्काल राहत मिली है, लेकिन इसने यह भी साफ कर दिया कि यदि भारत समय रहते आत्मनिर्भर नहीं बना तो भविष्य में ऐसी स्थितियाँ बार–बार सामने आ सकती हैं।

भारत इस बात को समझ रहा है इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और लिथियम बैटरियों के स्वदेशी उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ाये थे। हम आपको याद दिला दें कि भारत सरकार ने 2021 में राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम के अंतर्गत । योजना शुरू की थी। 18,100 करोड़ रुपये की इस योजना का लक्ष्य 50 गीगावाट घंटा उत्पादन क्षमता विकसित करना है। इसमें से 40 गीगावाट घंटा क्षमता पहले ही विभिन्न कंपनियों को आवंटित की जा चुकी है। यह क्षमता न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों बल्कि उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, रेल और रक्षा क्षेत्र को भी मजबूत करेगी। इससे यह उम्मीद की जा रही है कि भारत लिथियम बैटरियों के क्षेत्र में धीरे–धीरे आयात पर निर्भरता घटाकर घरेलू वैल्यू चेन तैयार करेगा।

इसके अलावा, खनन मंत्रालय ने रणनीतिक खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय समझौते किए हैं। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जाम्बिया, पेरू, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मलावी, कोट डी आइवरी जैसे खनिज–संपन्न देशों के साथ सहयोग बढ़ाया जा रहा है। साथ ही भारत ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जैसे संगठनों के साथ भी साझेदारी की है। यह सहयोग न केवल कच्चे खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा बल्कि टेक्नोलॉजी, अनुसंधान और निवेश के क्षेत्र में भी मददगार होगा। इन सभी प्रयासों से तीन महत्वपूर्ण संदेश निकलते हैं। पहला यह है कि चाहे बैटरी निर्माण हो या रेयर अर्थ मैग्नेट्स का उत्पादन, भारत को अपनी घरेलू वैल्यू चेन विकसित करनी ही होगी। दूसरा है कि चीन पर अत्यधिक निर्भरता की बजाय भारत को खनिजों की आपूर्ति के लिए बहुस्तरीय और बहु–देशीय नेटवर्क खड़ा करना होगा। तीसरा है कि यदि भारत वास्तव में ई–मोबिलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक नेतृत्व चाहता है तो उसे केवल आयात पर आधारित रणनीति से आगे बढ़कर संपूर्ण स्वदेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना होगा।

इन सभी प्रयासों से तीन महत्वपूर्ण संदेश निकलते हैं। पहला यह है कि चाहे बैटरी निर्माण हो या रेयर अर्थ मैग्नेट्स का उत्पादन, भारत को अपनी घरेलू वैल्यू चेन विकसित करनी ही होगी। दूसरा है कि चीन पर अत्यधिक निर्भरता की बजाय भारत को खनिजों की आपूर्ति के लिए बहुस्तरीय और बहु–देशीय नेटवर्क खड़ा करना होगा। तीसरा है कि यदि भारत वास्तव में ई–मोबिलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक नेतृत्व चाहता है तो उसे केवल आयात पर आधारित रणनीति से आगे बढ़कर संपूर्ण स्वदेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना होगा।

जहां तक यह सवाल है कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्यों खास हैं तो आपको बता दें कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स अब तक के सबसे शक्तिशाली स्थायी चुम्बक माने जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है उच्च चुंबकीय क्षमता और डिमैग्नेटाइजेशन (चुंबकत्व खत्म होने) के प्रति प्रतिरोध। इन्हें बनाने में मुख्यतः नियोडिमियम , प्रसीओडिमियम , और डिस्प्रोसियम जैसे रेयर अर्थ तत्वों का प्रयोग किया जाता है। इनकी मजबूती और हल्के वजन की वजह से ये छोटे आकार वाले, ऊर्जा–कुशल और आधुनिक उपकरणों के लिए अपरिहार्य हैं। वहीं सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मैग्नेट है नियोडिमियम –आयरन–बोरोन मैग्नेट। हम आपको बता दें कि चीन के पास दुनिया की लगभग 70: रेयर अर्थ मेटल्स खनन और करीब 90: मैग्नेट उत्पादन का नियंत्रण है। चीन की ताकत सिर्फ खनन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरी सप्लाई चेनकृखनन, प्रसंस्करण, मिश्र धातु उत्पादन और मैग्नेट निर्माणकृपर काबिज है। पिछले 6–8 वर्षों में इन मैग्नेट्स की मांग तेजी से बढ़ी है क्योंकि ये सामान्य फेराइट/पारंपरिक चुम्बकों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ, हल्के और प्रभावी हैं।

भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 2025–26 में लगभग 870 टन रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जरूरत होगी, जबकि देश की कुल मांग लगभग 3,600 टन अनुमानित है। वाहनों में इनका इस्तेमाल स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ई–एक्सल, वॉटर पंप, ट्रांसमिशन किट, स्पीकर्स, सेंसर और इग्निशन कॉइल जैसे महत्वपूर्ण पुर्जों में होता है। चीन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारतीय कंपनियों को आयात में कठिनाई हुई, जिससे उत्पादन बंद होने और नई लॉन्चिंग टलने का खतरा पैदा हो गया। अब प्रतिबंध हटने से इंडस्ट्री को भारी राहत मिलेगी, खासकर त्योहारी सीजन की मांग को देखते हुए। बहरहाल, चीन की ढील से भारत को अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन इसने यह भी याद दिला दिया है कि रणनीतिक खनिजों की सुरक्षा आर्थिक आत्मनिर्भरता से कहीं आगे जाकर राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। भारत इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यह यात्रा तभी सफल होगी जब बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेट्स जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए घरेलू उत्पादन और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित हो।

देश के विकास की धुरी है अक्षय ऊर्जा

–योगेश कुमार गोयल–

पृथ्वी पर ऊर्जा के परम्परागत साधन बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, ऐसे में खतरा मंडरा रहा है कि यदि ऊर्जा के इन पारम्परिक स्रोतों का इसी प्रकार दोहन किया जाता रहा तो इन परम्परागत स्रोतों के समाप्त होने पर गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यही कारण है कि पूरी दुनिया में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की जरूरत महसूस की जाने लगी और इसी कारण अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति करने के प्रयास शुरू हुए। अक्षय का अर्थ है, जिसका कभी क्षय न हो अर्थात् अक्षय ऊर्जा वास्तव में ऊर्जा का असीम और अनंत विकल्प है और आज के समय में यह किसी भी राष्ट्र के अक्षय विकास का प्रमुख स्तंभ भी है। पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए ऐसी ऊर्जा तथा तकनीकें विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे ग्लोबल वार्मिंग की विकराल होती समस्या से दुनिया को कुछ राहत मिल सके। किसी भी राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए आज प्रदूषणरहित अक्षय ऊर्जा स्रोतों का समुचित उपयोग किए जाने की आवश्यकता भी है। देश में अक्षय ऊर्जा के विकास और उपयोग को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए ही वर्ष 2004 से हर साल 20 अगस्त को 'अक्षय ऊर्जा दिवस' भी मनाया जाता है।

आज न केवल भारत में बल्कि समूची दुनिया के समक्ष बिजली जैसी ऊर्जा की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं, साथ ही पर्यावरण असंतुलन और विस्थापन जैसी गंभीर चुनौतियां भी हैं। चर्चित पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांसें' के अनुसार इन गंभीर समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा ही एक ऐसा बेहतरीन विकल्प है, जो पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के साथ–साथ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में भी कारगर साबित होगी लेकिन अक्षय ऊर्जा की राह में भी कई चुनौतियां मुंह बाये सामने खड़ी हैं। अक्षय ऊर्जा उत्पादन की देशभर में कई छोटी–छोटी इकाइयां हैं, जिन्हें एक ग्रिड में लाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। इससे बिजली की गुणवत्ता प्रभावित होती है। भारत में अक्षय ऊर्जा के विविध स्रोतों का अपार भंडार मौजूद है लेकिन इनसे ऊर्जा उत्पादन करने वाले अधिकांश उपकरण विदेशों से आयात किए जाते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अनुसार, कुछ साल पहले सौर ऊर्जा के लिए करीब 90 प्रतिशत उपकरण विदेशों से आयात किए गए थे, जिससे बिजली उत्पादन की लागत काफी बढ़ गई। 2023–24 के आंकड़ों के अनुसार, अब भी भारत की सौर सेल और मॉड्यूल की जरूरत का अधिकांश हिस्सा, कभी–कभी 90 प्रतिशत तक, आयात से ही पूरा होता रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में एएलएमएम नियम और पीएलआई स्कीम के कारण यह निर्भरता घट रही है। 2023–24 में चीन से सौर सेल्स का 53 प्रतिशत और मॉड्यूल्स का 63 प्रतिशत भारत में आया।

देश में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर भी तेजी से बढ़ रहा है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 450 गीगावॉट से अधिक हो चुकी है, जिसमें अब 230 गीगावॉट से अधिक अक्षय ऊर्जा से प्राप्त हो रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो–पावर और छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अधिक बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं से तथा परमाणु ऊर्जा से भी अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। कुल बिजली उत्पादन में अब अक्षय ऊर्जा का हिस्सा अब लगातार बढ़ रहा है, जो भारत को दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करता है।

भारत में ऊर्जा खपत भी तेजी से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) का अनुमान है कि वर्ष 2040 तक भारत में ऊर्जा की कुल मांग वर्तमान की तुलना में लगभग दोगुनी हो जाएगी। विशेषकर बिजली तथा ईंधन के रूप में उपभोग की जा रही ऊर्जा की मांग घरेलू एवं कृषि क्षेत्र के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में भी लगातार बढ़ रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में ही बिजली तथा पैट्रोलियम जैसे ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोतों का लगभग 55 प्रतिशत उपभोग किया जाता है। हम जिस बिजली से अपने घरों, दुकानों या दफ्तरों को रोशन करते हैं, जिस बिजली या पेट्रोलियम इत्यादि ऊर्जा के अन्य स्रोतों का इस्तेमाल कर खेती–बाड़ी या उद्योग–धंधों के जरिये देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया जाता है, क्या हमने कभी सोचा है कि वह बिजली या ऊर्जा के अन्य स्रोत हमें कितनी बड़ी कीमत पर हासिल होते हैं? यह कीमत न केवल आर्थिक रूप से बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी धरती पर विद्यमान हर प्राणी पर बहुत भारी पड़ती है। भारत में थर्मल पावर स्टेशनों में बिजली पैदा करने के लिए प्रतिदिन लगभग 18 लाख टन कोयले की खपत होती है। आज भी देश की लगभग 55 प्रतिशत से अधिक बिजली कोयले से ही पैदा होती है, शेष बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों, जल, गैस व परमाणु ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है।

दुनियाभर में ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 75 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन बिजली उत्पादन से ही होता है। यही कारण है कि अब सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, यदि अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाए तो वर्ष 2050 तक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 70 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है। भारत ने भी 2030 तक 500 गीगावॉट गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने और नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्ष 2070 तक प्राप्त करने का संकल्प लिया है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने से हमारी ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर कम होता जाएगा और इससे प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

भारत में अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्मार्ट ग्रिड, बैटरी स्टोरेज और इलैक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे कदम भी तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जो अक्षय ऊर्जा को व्यावहारिक और टिकाऊ बनाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि निर्यातक देश भी बन सकेगा। सही मायने में अक्षय ऊर्जा ही आज भारत में विभिन्न रूपों में ऊर्जा की जरूरतों का प्रमुख विकल्प है, जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ–साथ टिकाऊ भी है। भारत धीरे–धीरे ही सही, अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और आज समय है कि हम आर्थिक बदहाली और भारी पर्यावरणीय विनाश की कीमत पर ताप, जल एवं परमाणु ऊर्जा जैसे पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय अपेक्षाकृत बेहद सस्ते और कार्बन रहित पर्यावरण हितैषी ऊर्जा स्रोतों के व्यापक स्तर पर विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ें। साथ ही हमें ऊर्जा की बचत की आदतें भी अपनानी होंगी क्योंकि ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग ही हमें सुरक्षित, समृद्ध और स्वच्छ भविष्य की ओर ले जाएगा।

ट्रक में रुई के बीच छिपा कर यूपी से बिहार ले जाई जा रही थी शराब की खेप, ड्राइवर–खलासी गिरफ्तार

संवाददाता–देवरिया। रुई लदा एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। पुलिसकर्मियों को संदेह हुआ तो उन्होंने ट्रक रोककर ड्राइवर से पुछताछ की। ड्राइवर ने बताया कि ट्रक में रुई लदी है। उन्होंने बताया कि वे रुई लेकर बिहार जा रहे है। एक सिपाही ट्रक पर चढ़ कर तलाशी लेने लगा तो उसकी नजर रुई के बीच में रखे कार्टून पर पड़ गई। बिहार की शराबबंदी में सेंध लगाने की कोशिश पकड़ी गई है। यूपी के देवरिया के मेहरौना चेक पोस्ट पर पुलिस टीम ने रुई के नीचे छिपा कर ले जाई जा रही शराब की खेप पकड़ी है। ट्रक से कुल 450 पेटी पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है। तस्कर, ट्रक से शराब की खेप लेकर बिहार जा रहे थे। पुलिस ने ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार की सुबह मुखबिर ने प्रभारी निरीक्षक लार उमेश कुमार बाजपेयी को सूचना दी कि शराब से भरा एक ट्रक मेहरौना के रास्ते बिहार जाने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना के आधार पर देवरिया के लार थाना क्षेत्र के यूपी–बिहार बार्डर पर स्थित मेहरौना चेक पोस्ट पर तैनात प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार बाजपेयी पुलिस टीम के साथ जांच करने लगे। इसी बीच लार की ओर से रुई लदा एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। पुलिसकर्मियों को संदेह हुआ तो उन्होंने ट्रक रोककर ड्राइवर से पुछताछ की। ड्राइवर ने बताया कि ट्रक में रुई लदी है। उन्होंने बताया कि वे रुई लेकर बिहार जा रहे है। इसी बीच एक सिपाही ट्रक पर चढ़ कर तलाशी लेने लगा तो उसकी नजर रुई के बीच में रखे कार्टून पर पड़ गई। इसके बाद ट्रक की गहनता से जांच की गई। उसमें रुई के नीचे छिपाकर रखी गई पंजाब निर्मित 450 पेटी अवैध शराब मिली। इसके बाद पुलिस ट्रक को जब्त कर ड्राइवर और खलासी को हिरासत में लेकर थाने चली आई। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 38 लाख रुपये आंकी जा रही है। पकड़े गए युवकों ने पुलिस को पुछताछ में अपना नाम डब्लू कुमार पुत्र मंगल पासवान और अमन पुत्र सोनू पासवान निवासी वार्ड नंबर 1 जगरनाथपुर,थाना कुरनी ,जिला मुजफ्फरपुर बताया है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार बाजपेयी ने बताया कि पंजाब निर्मित अवैध शराब के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है।

सदर पशु चिकित्सालय का डीएम ने किया निरीक्षण

संवाददाता–महराजगंज। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने राजकीय पशुचिकित्सालय सदर का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन भवन में देरी पर नाराजगी जताई। कार्यदाई संस्था को एक माह के भीतर काम पूरा करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांच के लिए पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन की अध्यक्षता में तकनीकी समिति बनाने का आदेश दिया। परिसर में जर्जर भवनों को ध्वस्त करने और जल–जमाव की समस्या को हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिसर की साफ–सफाई और निष्प्रयोज्य वस्तुओं की नीलामी का भी आदेश दिया। डीएम ने ओपीडी और उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी में वृद्धि और पशु टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। पशुओं को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने को कहा। यूपी सीएलडीएफ द्वारा 69.11 लाख की लागत से पशु चिकित्सालय का निर्माण किया जा रहा है। इसमें पशु चिकित्सालय, ट्रेविस, बाउंड्री वॉल और शौचालय का निर्माण शामिल है। पशु चिकित्सालय का मुख्य भवन पूरा हो चुका है। निरीक्षण के दौरान सीवीओ डॉ. हौसला प्रसाद, सहायक अभियंता अमित राज गुप्ता और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

लोकनिर्माण विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बने 25 घरों और दुकानों पर चला बुलडोजर

संवाददाता–श्रावस्ती। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मकान व दुकान के मामलों में जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। नगर पालिका परिषद भिनगा क्षेत्र में तहसील से ईदगाह की ओर लगभग 85 मीटर के दायरे में 25 मकान व दुकानों को ढहा दिया गया। चार महीने पहले हुई शिकायत पर कार्रवाई के लिए 10 घंटों तक आठ बुलडोजर चले। मलबा हटाने के लिए डंपर समेत 10 माल वाहक वाहन लगाए गए हैं।

तहसील तिराहे से ईदगाह की ओर से लोकनिर्माण विभाग की (नानजेड–ए श्रेणी) की जमीन स्थित है। इसे वन विभाग को हरित पट्टी विकसित करने के लिए दिया गया था। विभाग ने इस पर पौधे लगाए, लेकिन देखरेख के अभाव में पौधे सूख गए। इसके बाद इस जमीन पर झोपड़ पट्टी रखकर कब्जा शुरू किया गया। वर्ष 1985 से इस जमीन पर पक्का निर्माण शुरू हो गया। बहुमंजिला भवन में नीचे दुकान और ऊपर मकान बनाकर लोग रह रहे थे। कई ऐसे लोग भी थे, जिन्होंने दुकान और मकान किराए पर उठा रखा था। लगभग चार माह पूर्व इस अवैध निर्माण की शिकायत जनसुनवाई पोर्टल पर हुई। इसके बाद लोक निर्माण विभाग व राजस्व विभाग ने जांच की तो जमीन सरकारी और

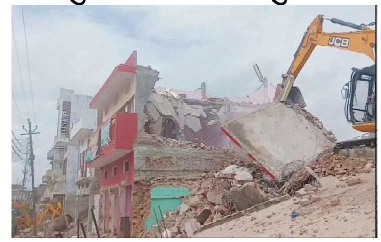

निर्माण अवैध पाया गया। दो चरणों में 53 भवनों पर नोटिस चस्पा कर भूमि के स्वामित्व व भवन निर्माण के संबंध में अभिलेख मांगे गए। पक्षकारों ने उच्च न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने 21 जुलाई को जारी आदेश में जिला प्रशासन को कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए। इसके बाद डीएम अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर पांच व छह अगस्त को एक बार और सुनवाई का मौका दिया गया। वैध दस्तावेज न मिलने पर निर्माण को ढहाने के लिए मंगलवार की शाम मुनादी कराई गई। बुधवार को सुबह करीब छह बजे एक्सईएन पीडब्ल्यूडी केपी मिश्रा जिले के आठ थानों के निरीक्षक, 25 उपनिरीक्षक, 130 आरक्षी, मुख्य आरक्षी व महिला आरक्षी, पुलिस की क्विक रिएक्शन टीम, दमकल व यातायात विभाग की टीम के साथ पहुंचे। सुबह लगभग साढ़े छह बजे शुरू हुई कार्रवाई शाम करीब साढ़े चार बजे पूरी हुई। देर रात तक मलबा हटाकर जमीन पूरी तरह खाली की जाएगी। जिले में सरकारी जमीनों पर अब तक लगभग 34 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। भिनगा नगर की कार्रवाई सबसे बड़ी है। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि अवैध निर्माण को ढहाने के बाद खाली हुई जमीन को सड़क से जोड़कर रास्ते को चौड़ा किया जाएगा। इसके अलावा भिनगा तहसील परिसर के हिस्से को जोड़ते हुए पार्किंग बनाई जाएगी। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण ढहाने से बेघर हुए लोगों को कांशीराम आवास व मुख्यमंत्री आसरा योजना का लाभ दिया जाएगा।

विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन

संवाददाता–श्रावस्ती। पुरानी पेंशन बहाली समेत विभिन्न मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ लम्बे समय से संघर्षरत है। जिसके तहत बुधवार के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ श्रावस्ती इकाई की ओर से प्रदर्शन किया गया। साथ ही ज्ञापन देकर मांगों को पूरा करने की अपील की गई। जिलाध्यक्ष व सदस्य राज्य परिषद गुरु बचन सिंह की अगुवाई में बुधवार को माध्यमिक शिक्षक संघ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमन्त्री को संबोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पुरानी पेन्शन बहाल किये जाने, निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने को लेकर लम्बे समय से संघर्ष कर रहा है जिसे पूरा किया जाय। उन्होंने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय लेखा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाय। लम्बित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण के लिए सिटीजन चार्टर व्यवस्था लागू किया जाय। उन्होंने कहा कि चयनबोर्ड अधिनियम की धारा 12, 18 व 21 को उसी रुप में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में सम्मिलित किया जाय, तदर्थ शिक्षकों की बहाली किया जाय। इस मौके पर प्रधानाचार्य ज्योति प्रकाश पांडेय, आरपी मिश्रा आदि मौजूद रहे।

काटे जाएंगे नई रेल लाइन की राह के बाधक 895 पेड़

संवाददाता–महराजगंज। घुघली–आनंदनगर वाया महराजगंज नई रेल लाइन में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। जिले के 52 गांव से 52.7 किमी लंबी यह नई रेल लाइन गुजरेगी। प्रथम फेज में घुघली से लेकर महराजगंज में प्रस्तावित रेलवे स्टेशन तक नई लाइन बिछाने का कार्य होगा। पहले फेज में नई रेल लाइन की राह में 895 पेड़ बाधक बन रहे हैं। इसको काटने के लिए रेलवे ने वन विभाग से अनुमति मांगा है। वन विभाग ने 140 पेड़ों के काटने का परमिट जारी कर दिया है। विशेष परियोजना में शामिल घुघली वाया महराजगंज नई रेल लाइन के लिए रेलवे बोर्ड ने मार्च 2019 में 958.27 करोड़ रूपया स्वीकृत किया है। 2027 तक इसे पूर्ण करना है। नई रेल लाइन के लिए महराजगंज–गोरखपुर मार्ग पर ओवर ब्रिज, रोहिन नदी पर पुल समेत 25 बड़े व आठ छोटे पुल बनाए जाएंगे। रेलवे ने भूमि अधिग्रहण के लिए 646 करोड़ रूपया जारी कर दिया है। करीब 225 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत होनी है। इसमें से अभी तक 52 गांवों में से 38 गांव से 172.46 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। रोहिन नदी पर नई रेल लाइन के लिए पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। नई रेल लाइन निर्माण के बारे में यह जानकारी सामने आ रही है कि पहले फेज में शामिल घुघली से महराजगंज के महुअवा तक 95 फीसदी भूमि अधिग्रहण के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। अभी तक पहले फेज में घुघली से लेकर महुअवा तक 77 फीसदी भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। 6.66 अरब का मुआवजा भुगतान करना है। इसमें से 55.32 फीसदी यानी 3.01 अरब का मुआवजा भुगतान हो चुका है। अब गोरखपुर जिले से होकर नहीं गुजरेगी रेल लाइन घुघली–आनंदनगर वाया महराजगंज नई रेल लाइन गोरखपुर के 12 गांव से होकर गुजरनी थी, लेकिन वन विभाग की अड़चन के चलते अब केवल महराजगंज से होकर नई रेल लाइन आनंदनगर जाएगी। अभी तक 38 गांव में भूमि अधिग्रहण हो चुका है। नौ गांव में अधिग्रहण के लिए सर्वे चल रहा है। नई रेल लाइन में 895 पेड़ पड़ रहे हैं। इसमें से वन विभाग ने 140 पेड़ को काटने का परमिट जारी कर दिया है। जल्द ही पेड़ों का कटान शुरू कराया जाएगा। जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत हो चुकी है और मुआवजा भुगतान हो चुका है उनको जमीन पर फसल नहीं उगाने की सूचना दे दी गई है।

छांगुर बाबा और सिपाही समेत 13 पर यौन शोषण का केस

संवाददाता–कुशीनगर। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर गिरोह के तार कुशीनगर से जुड़ गए हैं। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुशीनगर की पीड़िता ने तमकुहीराज निवासी जाली करेंसी कांड से जुड़े कुछ आरोपियों व कस्बा चौकी पर तैनात एक सिपाही पर शारीरिक शोषण सहित छांगुर बाबा की मजार पर ले जाकर धर्मांतरण कराने के गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद देर शाम को कुशीनगर के पडरौना कोतवाली में छांगुर, नीतू बोहरा उर्फ नसरीन व तमकुहीराज के सिपाही समेत तेरह लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इनमें 11 आरोपी तमकुहीराज क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। सीओ सदर डॉ अजय कुमार सिंह को एसपी ने पूरे प्रकरण की जांच सौंपी है।

पिछले दिनों तमकुहीराज पुलिस द्वारा कस्बे के एक मकान से अवैध असलहे व बड़ी मात्रा में जाली करेंसी सहित तमाम अवैध वस्तुओं के साथ कस्बा निवासी कुछ आरोपियों सहित क्षेत्र के लगभग एक दर्जन मनबढ़ों को पुलिस ने जेल भेजवाया था।

बाद में पुलिस ने इनका बाकायदा आपराधिक गैंग घोषित करते हुए सभी पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की थी। इनमें कुछ सपा से जुड़े भी बताए गए थे। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पडरौना निवासी पीड़िता ने जाली करेंसी कांड से जुड़े आरोपियों तथा तमकुहीराज कस्बा पुलिस चौकी पर तैनात एक सिपाही पर शारीरिक शोषण करने एवं छांगुर बाबा के मजार पर ले जाकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया। युवती ने बताया कि वह नौकरी के चक्कर में काफी पहले जाली नोट कांड के सरगना से मिली थी। इसके बाद से ही उसका शोषण शुरू हो गया था।

शिकायत करने पर तमकुही राज थाने के एक सिपाही ने भी उसका यौन शोषण किया। छांगुर की मदद से धर्म परिवर्तन करा कर युवती का मुस्लिम नामकरण भी कर दिया गया। एसपी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस संबंध में एक तहरीर सीओ तमकुहीराज कार्यालय को भी उपलब्ध करायी गयी थी। पीड़िता पडरौना कोतवाली क्षेत्र के निवासी बतायी गयी थी।

कुशीनगर के एसपी संतोष मिश्र ने बताया कि पीड़ित युवती पडरौना की है। सीओ सदर को पूरे प्रकरण की जांच के निर्देश दिए गए हैं। एक तहरीर सीओ तमकुहीराज को भी मिली थी। पडरौना कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। धर्मांतरण से जुड़े लोगों को बख्शा नहीं जाएगी।

दस लाख के लेन-देन में गोली मारकर की गई थी आयुष की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा

संवाददाता—संतकबीर नगर। सोमवार की रात में दस लाख रुपये के लेनदेन के विवाद में थार में गोली मारकर 24 वर्षीय आयुष सिंह संगम की हत्या की गई थी। बहरहाल पुलिस ने थार में हत्या के समय सवार मृतक के तीनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह हैं शिवम पासवान पुत्र प्रेमचंद निवासी खमरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद, आदर्श शुक्ला पुत्र हरिप्रसाद शुक्ला निवासी मरवटिया थाना पुरानी बस्ती तथा सिद्धार्थ सिंह पुत्र विवेकानंद सिंह निवासी अभयपुरा थाना कप्तानगंज। इनकी गिरफ्तारी मंगलवार को मगहर कबीर चौरा के पास से हुई। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पिस्टल,एक खाली व एक जिंदा कारतूस, थार व तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ी पटखौली निवासी रविप्रकाश सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह की ओर से दिए गए तहरीर में बताया गया कि 18 अगस्त की रात नौ से साढ़े नौ बजे के करीब उनके मोबाइल पर फोन आया कि उनके भतीजे आयुष सिंह संगम पुत्र राघवेंद्र प्रताप सिंह को मलोरना के पास हाईवे पर किसी ने गोली मार दिया। सूचना पर जब वह जिला अस्पताल खलीलाबाद पहुंचे तो डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम जांच पड़ताल में जुट गई।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आयुष सिंह को गोली मारने के बाद थार से ही उसे लेकर तीनों आरोपित जिला अस्पताल पहुंचे। वाहन से निकालकर घायल युवक को अस्पताल की इमरजेंसी में ले जा रहे थे, तभी सूचना पाकर उसके घर के कई लोग आ गए। भेद खुलने की डर से तीनों आरोपित अस्पताल से भाग गए थे। पुलिस ने जांच पड़ताल के आधार पर वारदात में शामिल थार में सवार मृतक के तीनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि बस्ती निवासी आदर्श शुक्ला जो वर्तमान में खलीलाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में गैरेज और जिम चलाता है, उसे आयुष सिंह ने दो साल पहले दस लाख रुपये दिए थे। जिसमें साढ़े छह लाख उसके खाते में तथा साढ़े तीन लाख रुपये नकद। उसी पैसे को वह बार बार मांग रहा था। मलोरना के पास हाईवे पर खड़ी थार गाड़ी में खानेपीने के दौरान पैसे के लेन देन को लेकर मृतक से आरोपित आदर्श शुक्ला,सिद्धार्थ सिंह, शिवम पासवान विवाद के बीच विवाद होने लगा। मामला गरमाया तो आदर्श शुक्ला ने आयुष सिंह को पिस्टल से गोली मार दिया। लोगों को गुमराह करने के लिए शिवम पासवान ने मृतक के किसी करीबी को फोन कर आयुष को किसी के द्वारा गोली मारने की सूचना दी। आरोपितों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली प्रभारी पंकज कुमार पाण्डेय, . उपनिरीक्षक राजेश दूबे, संजय यादव, अशोक दूबे तथा हेडकांस्टेबल पप्पू सिंह व कांस्टेबल विशाल सिंह शामिल रहे।

मृतक आयुष सिंह की जिस थार गाड़ी में हत्या की गई, वह उसी की थी। हाल में ही उसने यह गाड़ी खरीदी थी। मृतक के पिता खेती किसानी करते हैं। यह सूद पर पैसे चलाता था। चर्चा है इसने मुख्य हत्यारोपित आदर्श शुक्ला को दस लाख रुपये सूद पर ही दिए थे। इसके अलावा इसके द्वारा कई अन्य को इस तरह के पैसे दिए गए थे। मृतक प्रापर्टी डीलिंग का भी काम करता था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना के जांच पड़ताल के दौरान यह बातें चर्चा में आई हैं। पुलिस इन सभी बिंदुओं को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

मृतक और हत्यारोपितों की आपस में कारोबारी दोस्ती थी। यह सभी बस्ती में एक कार्यक्रम में जाने के लिए एकत्रित हुए थे। आयुष को गोली मारने वाला आदर्श शुक्ला खलीलाबाद में जिम चलाता है, वह इसका ट्रेनर भी है। उसका दूसरा साथी सिद्धार्थ सिंह बस्ती में जिम चलाता है। घटना के दिन सिद्धार्थ बस्ती से यहां पर आदर्श से मिलने आया था फिर शाम को कार्यक्रम में साथ जाने के लिए रुक गया।

पल्टूराम के मौत का मामला गरमायाः बेटे ने दिया प्रकरण को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की चेतावनी

—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। इलाज में लापरवाही से पल्टूराम के मौत का मामला तूल पकड़ता रहा है। उनके पुत्र वीरेन्द्र प्रताप ने डीआईजी के साथ ही अनेक सम्बंधित अधिकारियों को पत्र देकर कहा है कि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जांच प्रकिया में लगातार बिलम्ब किया जा रहा है और दोषी चिकित्सक को बचाने का ताना बाना बुना जा रहा है। सारे साक्ष्य उपलब्ध करा देने के बावजूद लगातार जांच में हीला हवाली की जा रही है। यदि एक सप्ताह के भीतर दोषी चिकित्सक पर कार्यवाही न हुई तो वे प्रकरण को मुख्यमंत्री के समक्ष ले जायेंगे। इसके बाद भी न्याय न मिला तो प्रकरण को सक्षम न्यायालय के समक्ष ले जाने को बाध्य होंगे। अधिकारियों को दिये पत्र में वीरेन्द्र प्रताप ने कहा है कि ढंग से इलाज न होने के कारण उनके पिता पल्टूराम की ओमबीर हास्पिटल कैली रोड में गत 18 जुलाई को मौत हो गई। अधिकारियों को पत्र देने के बावजूद अभी तक ओमबीर हास्पिटल और डा. नवीन चौधरी जो महामाया मेडिकल कालेज अम्बेडकरनगर में

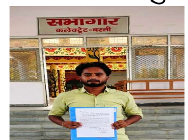

—जांच के नाम पर हीलाहवाली कर रहे हैं जिम्मेदार— वीरेन्द्र प्रताप

सरकारी सेवा में भी कार्यरत हैं के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। जांच टीम द्वारा डा. नवीन चौधरी और उनकी पत्नी डा. अर्चना चौधरी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मरटिया में मेडिकल आफिसर के पद पर कार्यरत होने के साथ ही ओमबीर हास्पिटल का पूरा संचालन कर रही है। सीएमओ द्वारा उनके नाम से लाइसेंस भी जारी किया गया है। उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ए. सीएमओ डा. अशोक कुमार चौधरी और उनकी टीम ओमबीर हास्पिटल और डा. नवीन चौधरी को बचाने में लगे हुये हैं। उन्हें इस जांच पर भरोसा नहीं है। दोषियों को कड़ा दण्ड मिले इसके लिये नये सिरे से उच्च स्तरीय टीम गठित कर मामले की निष्पक्ष जांच करायी जाय। यदि शीघ्र न्याय न मिला तो वे मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगायेंगे।

सपा का महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शनः माता प्रसाद पांडेय सहित 2 हजार कार्यकर्ताओं ने भेजा ज्ञापन

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। महंगाई, बिजली दर वृद्धि, खाद की किल्लत और बढ़ते अपराध के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय की अगुवाई में लगभग 2 हजार कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर जुटे और राज्यपाल को संबोधित 12 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। सपा नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार जनता को राहत देने के बजाय महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ाने में लगी है। ज्ञापन में कहा गया कि जिले में किसान खाद के लिए परेशान हैं, घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। खाद वितरण में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। नेताओं ने प्रदेश में बढ़ती डकैती, लूट और बलात्कार की घटनाओं पर चिंता जाहिर की और कहा कि अपराधियों के बढ़े हौसलों से आम जनता डरी हुई है। बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी को जनविरोधी बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की गई। तहसीलों में वरासत कार्य में अवैध वसूली, जल जीवन मिशन में सड़क खुदाई के बाद मरम्मत न होने, बीज वितरण में घोटाले और पुलिस थानों में फर्जी मुकदमों के जरिए धन उगाही जैसे मुद्दे उठाए गए। नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए तो सपा सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहा और अंत में अपर जिलाधिकारी गौरव श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन समाप्त किया गया।

शिक्षक संघ मांगों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन

संवाददाता—अम्बेडकरनगर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के बैनर तले शिक्षकों ने बुधवार को डीआईओएस कार्यालय में प्रदर्शन किया। इसकी अगुवाई शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी व जिलाध्यक्ष विजय वर्मा ने की। धरने की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम सदानंद गुप्ता को सौंपा गया। इसमें पुरानी पेंशन की बहाली, तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण, ऑफलाइन स्थानांतरण किए जाने, वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिलाने जैसी मांगें शामिल हैं। सदस्य विधान परिषद नेता दल शिक्षक ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि 15 दिन में मांग नहीं पूरी होंगी तो शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि डीआईओएस को अपनी कार्यशैली का परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्हें समस्याओं का निराकरण करके अवगत कराने स्वयं लखनऊ आना पड़ेगा।

नल के हैंडिल से मारकर हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद

संवाददाता—संतकबीरनगर। नल के हैंडिल से मारकर हत्या करने के आरोपी को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी आदर्श पर सजा के साथ 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। प्रकरण में मृतक कृन्दावन पटेल की पत्नी अमरावती देवी ने अभियोग पंजीकृत कराया था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मामला जिले के कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के ग्राम बन्हैता का है। वादिनी अमरावती देवी का आरोप है कि 10 जनवरी 2019 को उसके पति वृंदावन पटेल पुत्र अछैवर घर के बरामदे में लेटे हुए थे। समय करीब साढ़े आठ बजे रात में गांव का ही आदर्श पुत्र स्वर्गीय कांशीराम, जो एक दबंग प्रकृति का व्यक्ति है। पति को गाली देने लगा। गाली देने से मना करने पर अपने साथ ले आए फरसे से जान मारने की नीयत से पति के सिर पर हमला कर दिया। फरसा बाउंड्री में लग गया तो आरोपी ने रामसूरत के नल का हैंडिल तोड़कर पति के सिर पर वार कर दिया और वह मौके पर ही गिर गए। घटना को उसने व उनकी पुत्री अनुराधा पटेल ने देखा और शोर मचाया। पति को जिला अस्पताल खलीलाबाद ले गए। चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 9 साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया। जनपद न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करने के पश्चात आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास का सजा सुनाया।

जल निगम की जमीन पर चला बुलडोजर

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। प्रशासन ने भू—माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। तहसील सिद्धार्थनगर के ग्राम रोमा पार में जल निगम की दो बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया। भू—माफिया शफीक ने वर्षों से इस जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करा रखा था। कपिलवस्तु सदर विधायक श्याम धनी राही और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष गोविंद माधव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। बुधवार सुबह 10 बजे से दोपहर तक चली इस कार्रवाई में दो बुलडोजर और 25 कर्मचारियों की टीम ने भाग लिया। प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जमीन को जल निगम के नियंत्रण में ले लिया। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार विजय श्रीवास्तव, जेल चौकी प्रभारी अमित चौधरी और जल निगम के अवर अभियंता अविनाश यादव मौजूद रहे। स्थानीय ग्रामीणों को चेतावनी दी गई कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा या निर्माण गैरकानूनी है। भविष्य में ऐसी गतिविधि पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधायक राही ने कहा कि जिले में भू—माफियाओं के खिलाफ अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव ने बताया कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए यह कार्रवाई की है।

शिक्षकों का डीआईओएस कार्यालय पर धरना प्रदर्शन

संवाददाता—संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने संतकबीर नगर में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिले के 34 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक—शिक्षिकाओं ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं जिलाध्यक्ष हरि बख्श सिंह ने कहा कार्यालय तत्वों से मुक्त कराया जाए। अनायास यहां लोग बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा कि यहां प्रधानाचार्य को सम्मान नहीं मिलता है। आते हैं तो खड़े रहते है और कर्मचारी कुर्सी पर बैठे रहते हैं। शिक्षकों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 12, 18 व 21 की पुनर्बहाली शामिल हैं।

81 में जन्म दिन पर याद किये गये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी

—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी को 81 वे जन्म दिन पर सद्भावना दिवस के रूप में याद किया गया। कांग्रेस नेताओं ने वृद्धा आश्रम में फल वितरित किया।

बुधवार को कांग्रेस कार्यालय पर अध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी के संयोजन में आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी अपने भाषणों में हमेशा 21वीं सदी में तरक्की की बात किया करते थे। राजीव गांधी का मानना था कि टेक्नोलॉजी के सहारे देश में बदलाव किया जा सकता है। उन्होने टेलीकॉम और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में काफी काम करने के साथ ही पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेन्द्र श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पाण्डेय 'ज्ञानू' ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ ही देश में कम्प्यूटर युग की शुरूआत करने का श्रेय राजीव गांधी को है। कांग्रेस नेता परमात्मा प्रसाद चक्रवर्ती, अनिल भारती, डा. वाहिद अली सिद्दीकी, संदीप श्रीवास्तव आदि ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कठिन समय में राजीव जी ने देश की बागडोर संभाला और उदाहरण बनकर उभरे। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में देश में चौतरफा विकास हुआ। वे सदैव याद किये जायेंगे। कहा कि राजीव जी देश के छठवें और सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। वे 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। उन्होने तकनीक के स्तर पर इसरो से लेकर आई.टी. और कम्प्यूटर के क्षेत्र में देश को दिशा देने के साथ ही ग्राम पंचायत व्यवस्था को मजबूती दिया। उनका योगदान सदैव याद किया जायेगा।

भारत रत्न राजीव गांधी के जन्म दिन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से साधू शरन आर्य, अलीम अख्तर, डा. दीपेन्द्र सिंह, गिरजेश पाल, सौकत अली नन्हू, शकुन्तला देवी, राम धीरज चौधरी, अवधेश सिंह, अमर बहादुर शुक्ल, शेर मोहम्मद, राहुल चौधरी, गुड्डू सोनकर, लालजीत पहलवान, रफीक खान, राम बचन भारती, सुधीर यादव, सोमनाथ संत, मो. शब्बीर, विनय तिवारी, रविन्द्र सिंह राजन, गंगा मिश्र, मो. अशरफ अली, सर्वेश शुक्ला, फिरोज खान, आनन्द निषाद, राजेश भारती, राम पूरन चौधरी, दिलीप श्रीवास्तव, मंजू पाण्डेय, दुर्गेश चौधरी, सद्दाम हुसेन, मारूफ अली, सुनील पाण्डेय, रामचन्द्र मिश्र, दुर्गा प्रसाद चौधरी, संजीव त्रिपाठी, मो. अकरम,लालजी भारती, नन्कू प्रसाद, वली मोहम्मद, नसीम, मो. अहमद, नाटे आदि शामिल रहे।

बाल श्रम के खिलाफ 6 दुकानों को नोटिस

संवाददाता—सिद्धार्थनगर। बांसी में जिला टास्क फोर्स ने बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने बुधवार को 7 किशोर श्रमिकों को चिह्नित किया। इस दौरान 6 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस पाने वाले प्रतिष्ठानों में स्टार मोबाइल एंड रिपेयरिंग शॉप, के.जी.एन मुरादाबादी हैदराबादी बिरयानी, गुप्ता भोजनालय, राजा बिरयानी, मौर्या जी छोले भटूरे और सॉवरिया स्वीट्स शामिल हैं।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)

नं0मु0—1227 / 2024

अदालत— श्रीमान अपर जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर जिला—सिद्धार्थनगर

गंगाधर

बनाम

सरकार

नमिता कुमारी पत्नी योगेन्द्र प्रसाद निवासी महदेवा नानकार तप्पा बजरहा परगना नौगढ़ तहसील शोहरतगढ़ जिला सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी 25—08—2025

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 25 माह 08 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जवाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसब्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)

नं0मु0—5957 / 2025

धारा 116 उ0प्र0रा0सं0—2006

अदालत— श्रीमान उप जिलाधिकारी नौगढ़ जिला—सिद्धार्थनगर

घनश्याम पाण्डेय

बनाम

चतुर्भुज पाण्डेय आदि

ग्राम सोनवल तप्पा थरौली परगना व तहसील नौगढ़ जिला सिद्धार्थ नगर

1. नीरज पाण्डेय पुत्र बैजनाथ 2. रजनीश पाण्डेय पुत्र सदानन्द 3. श्रीमती कान्ती देवी पत्नी सदानन्द निवसीगण ग्राम सोनवल तप्पा थरौली परगना व तहसील नौगढ़ जिला सिद्धार्थ नगर

तारीख पेशी 27—08—2025

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 27 माह 08 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जवाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जवाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसब्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय—श्रीमान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बस्ती जिला—बस्ती

M.A.C.P.N0—48 / 2024

राजेश कुमार यादव

बनाम

दा मैनेजर एस.एस.एस.वी.

1. दा मैनेजर एस.एस.एस.वी. इण्टर मीडिएट कालेज द्वारा फूलकली मिश्रा पत्नी शीतला प्रसाद ग्राम डुहवा मिश्र हर्रैया पो0 संग्रामपुर थाना छावनी जनपद बस्ती उ0प्र0 पिन कोड 272127 (वाहन स्वामी एजेकेशनल इन्स्टीट्यूशन बस पंजीकरण सं0 यू0पी0 51 ए0टी0 8577)

2. महेश कुमार यादव पुत्र शिवमूरत यादव ग्राम बीरपुर खारहरा पो0 घोरसाए थाना छावनी जिला बस्ती उ0प्र0 पिन कोड 272127

तारीख पेशी 30—09—2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 30 माह 09 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाव ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसब्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

—द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय—श्रीमान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बस्ती जिला—बस्ती

प्रकीर्ण वाद सं0—642 / 2024

हरिमंगल सिंह

बनाम

अवधेश

1. अवधेश कुमार पुत्र राम नारायन साकिन कस्बा पिपरा अदाहे थाना खोड़ारे जिला—गोण्डा

तारीख पेशी 23—08—2025

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 23 माह 08 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाव ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसब्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

—द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा (आर्डर 22, कायदा 4)

न्यायालय—श्रीमान पंचम अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला—बस्ती

वाद सं0—573 / 1999

जगदीश आदि

बनाम

रामबोध आदि

5 / 1 श्रीमती कान्ती देवी विधवा स्व0 जयचन्द्र 5 / 2 श्रीमती कृष्ण देवी विधवा स्व0 विनोद कुमार 5 / 3 विनीता दूबे पुत्री विनोद कुमार 5 / 4 विनोदनी पुत्री स्व0 जयचन्द्र निवासीगण ग्राम कुचैला तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 27—08—2025

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 27 माह 08 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)

न्यायालय—श्रीमान द्वितीय अपर जिला जज बस्ती जिला—बस्ती

प्रकीर्णवाद सं0— 14 / 2014

प्रमात्मा प्रसाद आदि

बनाम

गिरजादत्त आदि

1 / 1 / 1 श्रीमती जानकी देवी पत्नी गिरजेशदत्त मृतक 1 / 1 / 2 सुशील पाण्डेय 1 / 1 / 3 सत्येन्द्र पाण्डेय 1 / 1 / 4 रोहन पाण्डेय पुत्रगण स्व0 गिरजेशदत्त 1 / 2 पवन पाण्डेय पुत्र गिरजादत्त 1 / 3 उमेश पाण्डेय पुत्र गिरजादत्त निवासीगण मौजा रामपुर रेवटी तप्पा कोरऊ परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला—बस्ती

तारीख पेशी 21—08—2025

चूंकि उपरिनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएव आपको एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2025 के माह 08 के 21 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 25 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा (आर्डर 22, कायदा 4)

न्यायालय—श्रीमान द्वितीय अति0 सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला—बस्ती

वाद सं0—484 / 2000

मो0 खलील खां

बनाम

त्रिलोकी सिंह आदि

1. अनुराग सिंह उम्र लगभग 27 वर्ष 2. आशुतोष सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्रगण स्व0 संजय सिंह 3. सन्तोष कुमारी उम्र लगभग 49 वर्ष पत्नी स्व0 संजय सिंह निवासीगण ग्राम चकदहा तप्पा कलवारी परगना नगर पूरब तहसील व जिला—बस्ती

तारीख पेशी 01—09—2025

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 01 माह 09 सन 2025 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1—4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक—**दिनेश सिंह**

संयुक्त सम्पादक—**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**

अयोध्या—फैजाबाद कार्यालय— चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या—फैजाबाद

लखनऊ कार्यालय— आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच, कानपुर रोड लखनऊ।

गोरखपुर कार्यालय— इलाहीबाग गोरखपुर।

मो0 9336715406, 8400925463

ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com

dainikbhartiyabasti@gmail.com